



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/01/2020-

523

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 23/06/2021

विषय- श्री राजीव रंजन कुमार द्वारा बांका जिलान्तर्गत कटौना ग्राम के खाता संख्या-656, खेसरा संख्या-6548/6905, 5546/6548, अंचल कटौरिया में SH-22 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02424 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/43634/2019/4161, दिनांक 25.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 15.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 25.08.2020 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Compensatory Afforestation: The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The user Agency shall transfer the cost of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 7,29,862.00 (रु० सात लाख उनतीस हजार आठ सौ बासठ) मात्र की राशि को Account No. 150627043634855, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 22.09.2020 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN420266241455 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

3	Net Present Value (NPV): (a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.02424 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.02424 हे. अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 15,175.00 (पंद्रह हजार एक सौ पचहत्तर रुपये मात्र) को Account No. 150627043634855, BIHAR CAMPA, Corporation Bank, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 22.09.2020 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN420266241455 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
(b)	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be Transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 22.09.2020 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
5	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
6	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms shops etc.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(d)	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the existence	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
11	Any other conditions that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest and wildlife.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
13		

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02424 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

दिनांक- 23/06/2021

ज्ञापांक- FC/64/2020- 523

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका एवं श्री राजीव रंजन कुमार, ग्राम-जमालीचक, जिला-नालन्दा, पिन-803101 को सूचना हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Banka/ Banka Forest Division, Banka.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Rajeev Ranjan Kumar / IOCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.02424 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	25.08.2020				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	7,29,862/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	15,175.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	SBIN420266241455 dt. 22.09.2020	15,175/-	NPV
		2			7,29,862/-	CA
		Total-				7,45,037/-
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Corporation Bank, New Delhi on dt. 22.09.2020				
12	Any other remarks					

(Rakesh Kumar)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

(25)

**कार्यालय, जिला पदाधिकारी, बांका के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु
FRA 2006 का प्रमाण पत्र**

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 592 दिनांक 24/06/20

प्रमाणित किया जाता है कि बांका जिले में प्रयोक्ता एजेंसी IOCL के द्वारा रिटेन
आउटलेट रैखिक परियोजना निर्माण स्थान कठौन ग्राम, अंचल-कटोरिया SH-22 पथ
कुल-0.03232 कि०मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि
0.02424 हेक्टेयर रकबा का अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर व
प्रभंडल पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-57, दिनांक-11.01.2020 द्वारा FRA 2006 प्रमाण प
निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक
विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित
वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित
किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान- बांका

तिथि-

जिला कल्याण पदाधिकारी,
बांका

उप विकास आयुक्त
उप विकास आयुक्त,
बांका

जिला पदाधिकारी, बांका
हस्ताक्षर एवं मोहर
बांका

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which
was notified as "forest" less than 75 year prior to the 13th day
December 2005 and is located in villages having no recorded population
of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place :

Dated :

District Magistrate
and Office Seal